

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

राजस्‍व विविध प्रकरण GCMS NO 2025 / 686

दायरा तिथि : 07.11.2025

आदेश तिथि : 24-11-2025

प्रार्थी :-

अशोक कुमार पुत्र खसाराम जाति मीणा निवासी मु. पो. अणगोर तहसील सुमेरपुर
 वगैरा

ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012
 बाबत रेकॉर्डड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 24.11.2025

प्रार्थी ने निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपटित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 198 रकबा 1.9500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 972 रकबा 2.0412 हैक्टर, खसरा नंबर 146 रकबा 1.3200 हैक्टर, खसरा नंबर 154/878 रकबा 1.0000 हैक्टर, खसरा नंबर 170 रकबा 4.1100 हैक्टर, खसरा नंबर 171 रकबा 2.3000 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में निरीक्षक भू-अभिलेख नाना को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। निरीक्षक भू-अभिलेख नाना ने जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। निरीक्षक भू-अभिलेख नाना की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह है कि प्रार्थी के खेत से कटान मार्ग पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध रास्तों के विकल्पों में से निकटतम दुरी का है।
3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरादार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	972/141	2.0412	बा.सो.	195X09=1755 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
2	146	1.32	बा.सो.	109X09=981 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
	154/878	1.00	बा.सो.	105X09=945 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
4	170	4.11	बा.सो.	222X09=1998 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
5	171	2.30	बा.सो.	59X09=531 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

4. यह कि प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 151310/- रुपये प्रति हैक्टर है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष नहीं हैं एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

सहायक कमिश्नर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

प्रकरण में तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंसा की गई। तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेज लगातार.....02

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील वाली के खसरा नंबर 198 रकबा 1.9500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार वाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिरूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (गुप-6) के परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील वाली के खसरा नंबर 198 रकबा 1.9500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील वाली के खसरा नंबर 972/141 रकबा 2.0412 हैक्टर, खसरा नंबर 146 रकबा 1.32 हैक्टर, खसरा नंबर 154/878 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नंबर 170 रकबा 4.11 हैक्टर, खसरा नंबर 171 रकबा 2.30 हैक्टर में से **1755+981+945+1998+531=6210 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार वाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, वाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 151310/- रूपये प्रति हैक्टर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
972/141	2.0412	195X09=1755 वर्गमीटर	16	28080X2=56160	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
146	1.32	109X09=981 वर्गमीटर	16	15696X2=31392	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
154/878	1.00	105X09=945 वर्गमीटर	16	15120X2=30240	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
170	4.11	222X09=1998 वर्गमीटर	16	31968X2=63936	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
171	2.30	59X09=531 वर्गमीटर	16	8496X2=16992	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 198720/- (अक्षरे एक लाख अठानवे हजार सात सौ बीस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार वाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, वाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकर्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, वाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फंसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(विशेष विज्ञोई)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, वाली
वाली

//03//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2025 / 686

अनवान अशोक कुमार बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

दिनांक : 24/11/2025

क्रमांक / कोर्ट / 2025 /


प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, कोटार
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक अशोक कुमार पुत्र खसाराम जाति भीणा निवासी मु. पो. अणगोर तहसील सुमेरपुर वगैरा को सूचनार्थ।

सहायक कलेक्टर एवं वसुंधरा
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पंचायत - कोठार
गाव - चाळी
जिल्हा - पाली

स
प



Handwritten signature and date: 11/11/11